न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 05/21 वर्ष 2021
GCMS No- 2021/28

बउनवानीः–1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सवाईमाधोपुर , मकान नम्बर–12 श्याम सरोवर, पटेल नगर आलनुपर सवाईमाधोपुर जरिये परियोजना निदेशक,।

बनाम

1. मोती लाल पुत्र छीतर लाल जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. राजेश पुत्र सीताराम जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
3. भवंर लाल पुत्र लादू ब्राहाम्ण निवासी, मीना कॉलोनी बजरियॉ जिला सवाईमाधोपुर
4. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(मध्यस्थ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3604 रकबा 0.243 है0 वाके ग्राम भगवतगढ के संबंध में अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.9.2019

उपस्थितः–1. श्री अभिनव जैन वकील प्रार्थी
2. श्री विनोद कुमार शर्मा/श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांकः– 01.12.2021**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 विरूद्व के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रार्थी की भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु पारित अवार्ड दिनांक 23.9.2019 बाबत अवाप्त किये जाने ख0न0 3604 रकबा 0.243 है0 वाके ग्राम भगवतगढ विधि विरूद्व व वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण उक्त अवार्ड को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के जिला सवाईमाधोपुर मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के कि.मी. 236 से किमी 304.4 तक दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (8 लेन को बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा ... के अधीन भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. ...(अ) दिनांक 21.8.2018 को जारी की गयी जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र–दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 8.9.2018 के संस्करण में प्रकाशित करवाया गया एवं अधिसूचना संख्या का.आ. 5100(अ) दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

1.10.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्र–दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनो में दिनांक 13.10.2018 के संस्करण में प्रकाशित करवाया गया। जिसके उपरान्त हितबद्व व्यक्तियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तिया प्रस्तुत की गयी। अधिसूचना संख्या का.आ. 4118(अ) मे प्रकाशित ख0न0 के लिए कुल 7 आपत्तिया प्रस्तुत की गयी जिनका सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा दिनांक 9.5.2019 को विधिवत सुनवायी की जाकर आपत्तियो को अननुज्ञात किया गया अधिसूचना संख्या का.आ. 5100 (अ) मे प्रकाशित खसरा नम्बर के लिये कुल 4 आपत्तियां प्रस्तुत की गयी जिनकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5.11.2018 को विधिवत सुनवायी की जाकर आपित्तयों को अननुज्ञात किया गया। आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरान्त नियमानुसार अपनी आंख्या केन्द्रीय सरकार को सौपी गयी। केन्द्रीय सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ) दिनांक 4.1.2019 जारी की गयी जो भारत के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रो दिनांक 15.1.2019 के संस्करण मे प्रकाशित करवाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 डी के अनुसार अधिसूचना में वर्णित भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो चुकी है। उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 104(अ) दिनांक 4.1.2019 के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें कि ख0न0 3604 की 0.243 है0 किस्म चाही वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर सम्मिलित है। जिसका अवार्ड दिनांक 23.9.2019 को जारी किया गया। उक्त अवाप्त भूमि की किस्म चाही–ए दर्ज है किन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 जी के अन्तर्गत जारी वार्ड दिनांक 23.9.2019 मे भूमि की प्रकृति आवासीय मानते हुए आवासीय भूमि की दर से उक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित कर दिया जिसके संबंध में परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ,परियोजना कार्यान्वयन ईकाई सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक 1303 दिनांक 3.3.2019 के द्वारा अवगत कराया गया। तत्पश्चात परियोजना निदेशक के पत्रांक 1629 दिनांक 18.8.2020 के माध्यम से आवासीय भूमि होने संबंधी एवं आवासीय भूमि की दर से अवार्ड जारी करने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज चाहे गये किन्तु अवाप्तशुद्वा भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी भू–रूपानन्तरण आदेश नही है। उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में चाही–ए दर्ज है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) भरतपुर द्वारा दिनांक 19.7.2018 को पारित आदेश मात्र कमी स्टाम्प डयूटी के संबंध में पारित किया गया है जो कि भू–परिवर्तन के आदेश की श्रेणी मे नही आता है तथा उक्त आदेश राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अधिग्रहण की जाने वाली अवाप्तशुद्वा भूमि के संबंध में भूमि की प्रकृति बद[illegible] भी दिया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना में [illegible] 3604 रकबा 0.243 है0 की किस्म चाही–ए दर्ज थी जिसके अनुसार मु[illegible] रूपये होता है तथा उक्त ख0न0 में स्थित अन्य भूमि का भी [illegible] किया गया है किन्तु अवार्ड दिनांक 23.9.2019 स्वंय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भेज[illegible]यी रिपोर्ट के विपरीत अवाप्तशुद्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

ख0न0 3604 रकबा 0.243 है0 भूमि की किस्म को बिना किसी आधार के बिना किसी भू–सम्परिवर्तन आदेश के चाही–ए से बदलकर आवासीय भूमि मानते हुए मुआवजा का निर्धारण कर दिया गया एवं गैर कानूनी रूप से विधि के सिद्वान्तो एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के प्रावधानो के विरूद्व भूमि की मुआवजा राशि 3,81,94,018/ – रू गलत तरीके से निर्धारित कर दी गयी ऐसी स्थिति मे उक्त अवार्ड निरस्त किया जाकर अवाप्तशुद्वा भूमि की प्रकृति एवं किस्म चाही–ए के अनुसार मुआवजा राशि रूपये 676,575/–रू निर्धारित किया जाना कानूनन आवश्यक है। यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 ए एवं डी के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात सक्षम अधिकारी को भूमि की किस्म आदि में परिवर्तन करने का कोई क्षेत्राधिकार सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति को प्राप्त नही है तथा बिना भू–परिवर्तन आदेश एवं उससे संबंधित समस्त शुल्क के भुगतान के बिना भूमि की प्रकृति नही बदली जा सकती है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.9.2019 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त अवाप्त शुद्वा भूमि ख0न0 3604 रकबा 0.243 है0 का मुआवजा चाही–ए किस्म के अनुसार निर्धारित करवाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जबकि वास्तविकता यह है कि दिनांक 8.9.2018 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा दिनांक 14.9.2018 को अन्दर मियाद सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति पेश की थी जिस पर उनके द्वारा दिनांक 4.10.2018 की तारीख पेशी का नोटिस हम प्रार्थीगणो को भेजा गया। नियत दिनांक 4.10.2018 को हमारे अधिवक्ता के साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए इस सुनवायी में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्रालय के 5 सदस्य भी मौजूद थे। जिन्होने हम अप्रार्थीगण की आपत्ति पर सुनवायी कर मौखिक रूप से कहा था कि उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जॉच करवायी जाकर आपत्ति पर उचित आदेश पारित किया जावेगा। इसी क्रम में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा अपने पत्र क्रमांक एन.एच.148 एन. 19/106 दिनांक 25.6.2019 के द्वारा ख0न0 3604 रकबा 0.4200 है0 वाके ग्राम भगवतगढ तहत तहसील चौथ का बरवाडा का पंजीयन संबंधी दस्तावेज भेजकर पुनः गणना कर रजिस्ट्री के अनुसार नियमानुसार नामा0 तस्दीक करवाने हेतु लिखा जाने पर उप पंजीयक चौथ का बरवाडा द्वारा अपने पत्र क्रमांक पंजीयन 209/178 से श्रीमान समक्ष प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अति0 जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि विक्रय पत्र के अवलोकन करने पर ख0न0 3604 हिस्सा 1/3 अर्थात 0.14 है0 भूमि अप्रार्थी 2 व 3 की प्रचलित बाजार दर पर पंजीयन हेतु प्रस्तुत हुए थे उक्त ख0न0 नम्बर की अधिक दर की हस्तान्तरति सम्पत्ति से गणना करने पर आराजी की तत्समय की डीएलसी दर 875000/–रू के स्थान पर डीएलसी 4552/–रू प्रति वर्गमीटर के हिसाब से उक्त भूमि का मूल्यांकन 63,72,800/–रू नियमानुसार माना गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है। इसलिए उक्त भूमि का संशोधित अवार्ड जारी करने के क्रम में परियोजना निदेशक महोदय द्वारा सम्पूर्ण प्रकरणों [illegible] कर दिनांक 23.9.2019 को 3 जी अवार्ड जारी किया गया यदि परि[illegible] को कोई [illegible]राज था तो सक्षम अधिकारी के पत्रांक क्रमांक पीएएन [illegible] के विरूद्व जाकर कार्यवाही करनी चाहिए। किन्तु किसी प्रकार का कोई विरोध नही [illegible] हुए ख0न0 3604 का रकबा 0.243 है0 का 3 जी अवार्ड राशि 3,81,940.18/–रू का दिनांक 23.9.2019 को जारी किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थीगण को उक्त राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 12.2.2020 को नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति एन एच 148 एन 2019/439 दिनांक 12.2.2020 को जारी किया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस मे चाहे गये दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 3.3.2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निदेशक द्वारा एक पत्र एनएचए–1 /पीयू स0मा0/एनएच/148एन 15005/4/2019 एलए स0मा0/303 श्रीमान सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक/पीर/एनएचआई/96/दिनांक 14.8.2019 को अवाप्त की गयी भूमि ख0न0 3604 के 1/3 हिस्से बाबत भूमि का मूल्यांकन 6,37,280/–रू माना जाकर नियमानुसार मुआवजा दिलवाने हेतु उचित कार्यवाही करे उस समय भी भूमि से संबंधित समस्त रिकार्ड पत्रावली पर लेते हुए 3,81,94,018/–रू निर्धारित कर अवार्ड जारी करवा दिया गया जो बिल्कुल सही था। यह तर्क भी दिया कि महालेखाकार जयपुर की टीम द्वारा सर्वे किया जाकर उक्त भूमि सड़क से एवं आबादी से लगती हुई होने के कारण आवासीय भूमि माना जाकर रजिस्ट्री पर आवासीय दर से मुद्रांक शुल्क वसूला गया है। किन्तु उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मध्यस्थ धारा 3 जी (5) मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया गया है जो खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि भूमि अवाप्ति अधिकारी अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा वाके ग्राम भगवतगढ की कृषि भूमि आराजी ख0न0 3604 रकबा 0.243 है0 किस्म चाही–ए को एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त किया जाकर उक्त भूमि का आवासीय दर से दिनांक 23.9.2019 को अवार्ड पारित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रार्थना पत्र 3जी(5) इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि उक्त कृषि भूमि की राजस्व रिकार्ड में किस्म चाही–ए थी किन्तु उक्त भूमि का सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बिना भूमि सम्परिवर्तन आदेश के उक्त कृषि भूमि को आवासीय भूमि मानते हुए आवासीय दर से अवार्ड पारित किया है जो गलत है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मुआवजा निर्धारण का आधार उक्त भूमि को कलेक्टर मुद्रांक भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत रैफरेन्स संख्या 461/2017 उप पंजीयक चौथ का बरवाडा बनाम राजेश शर्मा वगै. जिसमे पारित निर्णय दिनांक 19.7.2018 मे आवासीय भूमि की दर से कमी मुद्रांक राशि 653620/–रू जमा करवायी गयी है के आधार पर उक्त भूमि आवासीय भूमि की श्रेणी मे मानते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.9.2021 को उक्त भूमि का आवासीय दर से अवार्ड निर्धारित किया गया है।

हम प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस कथन एवं तर्क से सहमत है कि कलेक्टर मुद्रांक को भूमि की किस्म परिवर्तन का कोई विधिक अधिकार नही है कलेक्टर मुद्रांक मात्र पंजीयन अधिनियम के तहत ही कमी मुद्रांक के आदेश पारित कर सकता है जिसके आधार पर भूमि की किस्म परिवर्तन नही हो सकती है। तथा भूमि अवाप्ति अधिनियम,1956 के तहत अवाप्त भूमि पर अवार्ड निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3ए में पंजीयन अधिनियम लागू नही होता है। उक्त भूमि की अवाप्ति [illegible] दिनांक 21.8.2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसका प्रकाशन भारत [illegible] को प्रकाशित हुआ है। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक (कलेक्टर) भरतपुर द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क वसूलने बाबत दिनांक 19.7.2018 को पारित निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि दस्तावेज मे वर्णित सम्पति की मालियत की गणना कृषि भूमि की तीन गुना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दर से किया जाना अपेक्षित है। उक्त निर्णय के आधार पर उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित नही हो सकती है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के निर्णय दिनांक 19.7.2018 की पालना में अप्रार्थी द्वारा कमी स्टाम्प राशि नोटिफिकेशन दिनांक 23.8.2018 से लगभग 8 माह बाद दिनांक 19.3.2019 को उक्त अवाप्त भूमि के मुआवजे की गणना अधिक राशि से करवाने के उद्देश्य से जमा करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड यथा खसरा गिरदावरी सम्वत् ~~सम्वत्~~ 2077 फसल रबी मे उक्त भूमि की किस्म चाही–ए दर्ज है जिसमे चने की फसल काश्त की हुई है तथा सम्वत्2078 मे भी उक्त भूमि की किस्म चाही–ए दर्ज है। जो कि मुआवजा निर्धारण मे मौके की स्थिति को भी दर्शाता है इस प्रकार अवाप्ति के नोटिफिकेशन से लेकर आज दिनांक तक भी उक्त भूमि कि किस्म चाही–ए दर्ज है किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस प्रमुख तथ्य को नजर अन्दाज कर प्रार्थी को अधिक लाभ पहुँचाने की मंशा से मात्र उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक के निर्णय जो कि मात्र कमी स्टाम्प शुल्क वसूल किये जाने के संबंध मे था को आधार मानते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि किस्म चाही–ए की दर 6,76,575/–रू के बजाय आवासीय भूमि की दर से 3,81,94,018/–रू का अवार्ड पारित कर भारी भूल की है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में किस्म परिवर्तन बाबत ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिसके आधार पर उक्त भूमि को आवासीय भूमि माना जा सकें। अर्थात उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का सम्परिवर्तन आदेश पारित नही किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि का अवार्ड पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त सभी कानूनी बिन्दुओ को अनदेखा करते हुए राजस्व रिकार्ड मे भूमि की किस्म चाही–ए दर्ज होने के बावजूद भी आवासीय भूमि की दर से अवार्ड पारित कर भारी भूल की गयी है। ऐसी स्थिति मे वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के ख0न0 3604 रकबा 0.2430 है0 भूमि का दिनांक 23.9.2019 को पारित अवार्ड निरस्त किया जाकर पुनः नये सिरे अवार्ड पारित करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवतगढ के ख0न0 3604 रकबा 0.2430 है0 का दिनांक 23.9.2019 को पारित अवार्ड निरस्त किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विज्ञप्ति की दिनांक को राजस्व रिकार्ड में अंकित भूमि की किस्म के आधार पर नियमानुसार अवार्ड निर्धारण किये जाने की कार्यवाही करावे। निर्णय प्रति उच्चाधिकारियों को आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:27 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर